तत्काल

सं. एन-22/2/2021-पी एंड सी
भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

कृषि भवन, नई दिल्ली
दिनांक 22 अगस्त, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- उपभोक्ता मामले विभाग के संबंध में जून, 2022 माह के लिए मंत्रिमंडल के लिए मासिक सारांश – के संबंध में।

****

अधोहस्ताक्षरी को इस पत्र के अनुलग्नक के रूप में, उपभोक्ता मामले विभाग के संबंध में जून, 2022 माह के लिए मासिक सारांश (अनुलग्नक) के अवर्गीकृत भाग को सूचनार्थ संलग्न करने का निदेश हुआ है।

संलग्नक:यथोक्त

(जयश्री नरायणन)
अवर सचिव, भारत सरकार
फोन नं. 23384627

प्रति संलग्नकों सहित, ई मेल के माध्यम से अग्रेषित

1. मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य।
2. पीआईबी/सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय।
3. उपराष्ट्रपति के सचिव।
4. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
5. सचिवगण, भारत सरकार। (सूची के अनुसार)
6. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, नई दिल्ली।
7. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
8. निदेशक (एनआईसी) को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. विभाग के सहायक निदेशक (राजभाषा).

तत्काल

सं. एन-22/2/2021-पी एंड सी
भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

कृषि भवन, नई दिल्ली
दिनांक 22 अगस्त, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- उपभोक्ता मामले विभाग के संबंध में जून, 2022 माह के लिए मंत्रिमंडल के लिए मासिक सारांश – के संबंध में।

****

अधोहस्ताक्षरी को इस पत्र के अनुलग्नक के रूप में, उपभोक्ता मामले विभाग के संबंध में जून, 2022 माह के लिए मासिक सारांश (अनुलग्नक) के अवर्गीकृत भाग को सूचनार्थ संलग्न करने का निदेश हुआ है।

संलग्नक:यथोक्त

(जयश्री नरायणन)
अवर सचिव, भारत सरकार
फोन नं. 23384627

प्रति संलग्नकों सहित, ई मेल के माध्यम से अग्रेषित

1. मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य।
2. पीआईबी/सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय।
3. उपराष्ट्रपति के सचिव।
4. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
5. सचिवगण, भारत सरकार। (सूची के अनुसार)
6. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, नई दिल्ली।
7. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
8.निदेशक (एनआईसी) को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. विभाग के सहायक निदेशक (राजभाषा).

अनुलग्नक

उपभोक्ता मामले विभाग
जून, 2022 माह का मासिक सार

जून, 2022 माह के दौरान उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यकलाप निम्नानुसार हैं:

1. उपभोक्ता संरक्षण:

माह के दौरान, मिजोरम में ई-दाखिल पोर्टल प्रारंभ हुआ। इसके साथ, ई-फाइलिंग पोर्टल वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या 32 + एनसीडीआरसी है।

1.1 उपभोक्ताओं को नकली और भ्रामक रिव्यू से बचाने के लिए एक आधार ढांचा तैयार करने हेतु विभाग द्वारा अपर सचिव, उपभोक्ता मामले की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। समिति में ई-कॉमर्स कंपनियों, उद्योग संघों, स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों, कानून के अध्यक्षों और डिजिटल कॉमर्स के खुले नेटवर्क के प्रतिनिधि हैं।

1.2 सचिव (उपभोक्ता मामले) की अध्यक्षता में 02 जून 2022 को रेस्तरां संघों और उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ होटल और रेस्तरां में सेवा शुल्क के अनैच्छिक रूप से बनाए जाने पर चर्चा करने हेतु एक बैठक आयोजित की गई थी। सचिव (उपभोक्ता मामले) की अध्यक्षता में 13 जून 2022 को ई-कॉमर्स खाद्य व्यवसाय क्षेत्र में उपभोक्ता विवाद प्रतितोष तंत्र में सुधार लाने के लिए खाद्य वयवसाय संचालकों के प्रतिनिधियों के साथ एक और बैठक आयोजित हुई थी।

1.3 उपभोक्ता मामले विभाग ने 20 जून, 2022 को राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों और चयनित जिला आयोगों के अध्यक्षों के साथ-साथ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्रधान सचिवों और सरकारी अधिकारियों की भागीदारी के साथ एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। कार्यशाला का उद्देश्य 4 तकनीकी सत्रों के माध्यम से प्रभावी, त्वरित और निर्बाध उपभोक्ता विवाद प्रतितोष तंत्र पर चर्चा और विचार-विमर्श करना था।

i. राज्य और जिला आयोगों में रिक्तियों और लंबित मामलों की वर्तमान स्थिति तथा प्रभावी एवं त्वरित उपभोक्ता शिकायतों के निवारण के लिए एक रूपरेखा निर्धारित करना।

ii. राज्य और जिला आयोगों में ई-फाइलिंग की वर्तमान स्थिति और शिकायत निवारण हेतु उपभोक्ताओं के लिए ई-फाइलिंग को प्राथमिक विकल्प बनाने के लिए सुझाव।

iii. राज्य और जिला आयोगों में मध्यस्थता की वर्तमान स्थिति और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में निर्धारित मध्यस्थता के लिए एक प्रभावी तंत्र स्थापित करने के लिए सुझाव।

iv. राज्य और जिला आयोगों में बुनियादी ढांचा की वर्तमान स्थिति और उसमें सुधार के लिए सुझाव।

1.4 सचिव (उपभोक्ता मामले) ने दिनांक 23 जून 2022 के अ.शा. पत्र के माध्यम से सभी राज्य आयोगों के माननीय अध्यक्षों और सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे उपभोक्ता मामलों के समय पर निपटान के हित में अवकाश लेने से परहेज करें।

1.5 सचिव (उपभोक्ता मामले) ने अ.शा. पत्र दिनांक 24 जून 2022 के माध्यम से गुजरात, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के राज्य आयोगों के अध्यक्षों से "राज्य और जिला आयोगों के कामकाज की निगरानी और पर्यवेक्षण" पर रूपरेखा तैयार करने और "राज्य आयोगों से मामलों के निपटान और ई-फाइलिंग" और "राज्य आयोगों में मामलों के निपटान" पर क्रमश: नियमावली तैयार करने का अनुरोध किया है क्योंकि इन राज्यों के आयोगों ने इन क्षेत्रों में अग्रणी कार्य किया है।

1.6 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, उपभोक्ता मामले विभाग ने 30 जून 2022 को एनसीडीआरसी (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 को अधिसूचित किया।

2. मूल्य निगरानी:

सचिव (उपभोक्ता मामले विभाग) को एग्रीवॉच की साप्ताहिक प्रस्तुतियां दी गई, जिसमें पांच दालों (चना, तूर, उड़द, मूंग और मसूर) और तीन सब्जियों (प्याज, आलू और टमाटर) की कीमतों, उत्पादन, उपज, आयात और निर्यात परिदृश्य को शामिल किया गया।

3. मूल्य स्थिरीकरण कोष:

3.1 पीएसएफ के तहत महाराष्ट्र और गुजरात में (लक्ष्य 25,000 मीट्रिक टन) तूर (केएमएस 2021-22) की खरीद के लिए पहली किस्त के रूप में नेफेड को 39.37 करोड़ रुपये रिलीज की गई।

3.2 पीएसएफ के तहत वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान खरीदे गए 15,106.57 मीट्रिक टन उड़द के लिए एमएसपी मूल्य के रूप में नेफेड को 95.20 करोड़ रुपये रिलीज किए गए।

3.3 पीएसएफ (लक्ष्य 2.5 लाख मीट्रिक टन) के तहत नेफेड (वित्त वर्ष 2021-22) द्वारा आर-22 प्याज की खरीद के लिए तीसरी किस्त के रूप में नेफेड को 50 करोड़ रुपये रिलीज किए गए।

3.4 30 जून 2022 तक, नेफेड ने कथित तौर पर जुलाई 2022 तक प्राप्त की जाने वाली 2.5 लाख मीट्रिक टन की लक्षित मात्रा के मुकाबले 1.38 लाख मीट्रिक टन प्याज की मात्रार की खरीद की है और प्रस्तावित 42500 मीट्रिक टन तूर के मुकाबले पीएसएफ के तहत 13262.43 मीट्रिक टन तूर की मात्रा की खरीद की गई है।

4. भारतीय मानक ब्यूरो:

4.1 'शैक्षिक संगठन प्रबंधन प्रणाली' पर 03 जून 2022 को बीआईएस मुख्यालय, नई दिल्ली में आईएस/आईएसओ 21001:2018- शैक्षिक संगठनों-शैक्षिक संगठनों के लिए प्रबंधन प्रणाली-उपयोग के लिए मार्गदर्शन के साथ आवश्यकताओं पर जागरूकता पैदा करने के लिए एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी।

4.2 बीआईएस ने शुक्रवार, 10 जून 2022 को फिक्की, नई दिल्ली में फिक्की और वस्त्र मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से तकनीकी वस्त्र मानकों पर 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। हाइब्रिड मोड के माध्यम से लगभग 300 प्रतिनिधियों ने कॉन्क्लेव में भाग लिया। बीआईएस के मानकीकरण और अन्य संबंधित क्रियाकलापों से संबंधित हितधारकों के विभिन्न प्रश्नों का उचित उत्तर दिया गया और उठाए गए मुद्दों का समाधान किया गया।

4.3 बीआईएस ने 24 जून 2022 को आईआईटी-रुड़की में प्रसंस्करण उद्योग में सुरक्षा और खतरों से संबंधित मानकों पर अतिथि व्याख्यान का आयोजन किया, ताकि छात्रों को कार्यस्थल पर होने वाले विभिन्न प्रकार के खतरों और मानव स्वास्थ्य पर उनके हानिकारक प्रभाव, सुरक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण के सिंहावलोकन के बारे में बताया जा सके।

4.4 434 नए लाइसेंस घरेलू विनिर्माताओं को दिए गए और 14 लाइसेंस विदेशी विनिर्माताओं को दिए गए। इसके अलावा, घरेलू विनिर्माताओं के 2,346 लाइसेंस और विदेशी निर्माताओं के 54 लाइसेंसों का नवीनीकरण किया गया।

4.5 डीपीआईआईटी ने सभी रबर और सभी पॉलिमर सामग्री और उसके घटकों क्यूसीओ-2020 से बने फुटवियर को रद्द कर दिया है और 13 उत्पादों को कवर करते हुए सभी रबर और सभी पॉलिमर सामग्री और इसके घटकों क्यूसीओ-2022 से बने एक नए क्यूसीओ-फुटवियर को अधिसूचित किया है और फुटवियर को रद्द कर दिया है। चमड़ा और अन्य सामग्री क्यूसीओ-2020 से बना है और बीआईएस (अनुरूपता मूल्यांकन) विनियम, 2018 की योजना- I के अनुसार 10 उत्पादों को कवर करते हुए चमड़े और अन्य सामग्री क्यूसीओ-2022 से बने एक नए क्यूसीओ-जूते अधिसूचित किए हैं।

4.6 वस्त्र मंत्रालय ने अपने आदेश का.आ. 2601(ई), दिनांक 06 जून, 2022 ने बीआईएस (अनुरूपता मूल्यांकन) विनियम, 2018 की योजना-I के अनुसार 06 उत्पादों को शामिल करते हुए जूट बैग (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 को अधिसूचित किया है।

4.7 अनिवार्य पंजीकरण स्कीम के तहत जून 2022 में 385 नए लाइसेंस जारी किए गए, 739 समावेशन और 402 नवीनीकरण किए गए। जून 2022 में संचालित लाइसेंसों की संख्या 19,024 थी।

4.8 माननीय मंत्री उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण ने 27 जून 2022 को सीएल में खिलौना, जूते, खाद्य, विद्युत उपकरण और हेलमेट प्रयोगशालाओं के लिए पुनर्निर्मित परीक्षण सुविधाओं का उद्घाटन किया।

...4/-

4.9 हॉलमार्किंग स्कीम के तहत, 1928 नए जौहरी पंजीकृत किए गए हैं, और महीने के दौरान 29 नए एएंडएच केंद्रों को मान्यता दी गई है।

4.10 अनिवार्य हॉलमार्किंग का कार्यान्वयन 01 जून 2022 से 256 जिलों से बढ़ाकर 288 जिलों में कर दिया गया है। तीन नए ग्रेड, 20 कैरेट, 23 कैरेट और 24 कैरेट को भी अनिवार्य हॉलमार्किंग के तहत लाया गया है।

4.11 आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर, छात्रों के लिए गुणवत्ता परीक्षण हेतु प्रयोगशालाओं में एक्सपोजर विजिट्स का आयोजन ईआरओएल, एनआरओएल, डब्ल्यूआरओएल, बीएनबीओएल और जीबीओएल द्वारा किया गया था।

5. व्यवसाय सुगमता:

पेट्रोलियम डीलरों की कठिनाई को कम करने के लिए, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को एक एडवाइजरी जारी की गई थी, जिसकी प्रतिलिपि वितरण यूनिट आदि सत्यापन के संबंध में सभी हितधारकों को दी गई थी।

6. समय प्रसार:

23 जून 2022 को अपर सचिव (उपभोक्ता मामले) की अध्यक्षता में सभी हितधारकों के साथ समय प्रसार परियोजना की प्रगति की समीक्षा करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी।

7. एसीसी निर्देश:

सुश्री रूपा दत्ता के कार्य मुक्त होने के बाद वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार का पद 17.7.2021 से रिक्त है। इस पद के लिए संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरण होने के नाते आर्थिक कार्य विभाग द्वारा इस पद को भरा जाना है। अत:, विभाग के पास कोई एसीसी निर्देश लंबित नहीं है।

आवश्यक वस्तुओं की कीमतें – पिछले माह की तुलना में रूझान:

राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधित नागरिक आपूर्ति विभागों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार देश भर के 181 केन्द्रों से 22 आवश्यक वस्तुओं की अखिल भारतीय मासिक औसत खुदरा मूल्यों को संकलित किया जाता है तथा मई, 2022 की तुलना में जून, 2022 माह के औसत खुदरा मूल्यों का विवरण निम्नलिखित है:-

आवश्यक वस्तुओं के अखिल भारतीय मासिक औसत खुदरा मूल्य (₹/कि.ग्रा.)

क्रम सं.	वस्तु	जून, 2022	मई, 2022	अंतर (₹ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	चावल	36	36	0
2	गेहूं	30	29	1
3	आटा	34	33	1
4	चना दाल	74	74	0
5	तूर दाल	103	103	0
6	उड़द दाल	104	105	-1
7	मूंग दाल	102	103	-1
8	मसूर दाल	96	97	-1
9	चीनी	42	41	1
10	दूध (प्रति लीटर)	52	51	1
11	मूँगफली का तेल	192	192	0
12	सरसों का तेल	186	189	-3
13	वनस्पति	165	164	1
14	सोया तेल	170	171	-1
15	सूरजमुखी का तेल	189	189	0
16	पॉम ऑयल	152	155	-3
17	गुड़	48	48	0
18	खुली चाय	284	285	-1
19	नमक का पैक	20	19	1
20	आलू	25	23	2
21	प्याज	24	23	1
22	टमाटर	52	43	9

स्रोत: राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग